

12.12

वकील इन्डिया च्याती खासि
27.12.20 कोपेरा के

16/09/20

पत्रावली मुताबिक नोटिस पेश हुई।
वकील फरिक्तेन उपस्थित। पत्रावली पूर्वां
दिनांक 26/10/20 को पेश हो।

26/10/20

वकील फरिक्तेन उप.। पत्रावली पूर्वां दिनांक
26/10/20 को पेश हो।

09/12/20

प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। बार-
बार आवाज दिलाई गई। किंतु कोई उपस्थित
नहीं आया। ऐसी स्थिति में प्रा. पत्र प्रार्थी
अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर
है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)